झारखण्ड सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क इकाई
मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति **राँची, दिनांक 20 अक्टूबर 2014**

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि परिवर्तन नारों से नहीं निर्णयों से होता है। इसलिए हमारी सरकार निर्णय लेने में विश्वास रखती है। उन्होंने झारखण्ड राज्य महिला नीति 2014 की घोषणा करते हुए कह कि ''आधी आबादी, आधी हिस्सेदारी के संकल्प को हमने अमली जामा पहनाया है। सरकार ने महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखने के ऐतिहासिक अन्याय के विरुद्ध एक बड़ा फैसला लिया है। **उन्होंने कहा कि झारखण्ड में प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को ''महिला अधिकार दिवस'' मनाया जाएगा।** उन्होंने कहा कि इस दिन महिलाओं को सरकारी अवकाश दिया जाएगा। वे होटवार स्थित एथलेटिक्स स्टेडियम में महिला अधिकार उत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ''झारखण्ड राज्य महिला नीति 2014'' एवं ''महिला अधिकार दिवस'' के प्रतीक चिह्न का भी लोकार्पण किया एवं सात जिलों की सहियाओं के मध्य ''सबला किट'' का वितरण किया।

उन्होंने कहा कि महिलाएँ जिस तरह परवरिश के लिए नहीं, परिवार के लिए काम करती है, वह मौका मिलने पर, जिम्मेवारी मिलने पर, वेतन के लिए नहीं, ''वतन'' के लिए काम करेंगीं। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि केन्द्र में भी महिलाओं को 50 % आरक्षण देने की शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक बेरोजगारी महिलाओं में है महिलाओं में 7 % बेरोजगारी है तो पुरुषों में 4%। देश में महिलाओं की आधी आबादी है। एक आकलन के अनुसार इनकी आबादी लगभग 65 करोड़ है। केन्द्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं की भगीदारी मात्र 10% है। इस देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी मात्र 26% है। उन्होंने कहा कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो एक पीढ़ी शिक्षितहोगी और एक शिक्षित राज्य विकसित करने के लिए महिलाओं को शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए हमारी सरकार ने लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय लिया है। इसके अलावे पंचायत सचिव, प्राथमिक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति में महिलाओं को 50 % आरक्षण, होमगार्ड में 50 % पुलिस बल में सिपाही के पद पर नियुक्ति में 33 % आरक्षण दिया जाएगा। हमने महिला सशक्तिकरण की जो लकीर खींची है, उससे कितना आगे हम बढ़े हैं, उसका मूल्यांकन हर साल किया जायेगा। आने वाली हर सरकार को ये लेखा–जोखा इस दिवस में देना होगा कि हेमन्त सरकार द्वारा खींची गयी लकीर से कितना आगे गये हैं।

सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब छात्रों के छात्रवृत्ति को ढ़ाई गुण तक बढ़ाया गया। जंगली जानवरों से गरीबों के आवासों को क्षति होने वाले मुआवजा को बढ़ाकर 75,000/–रुपये किया गया। मदरसा अनुदान में बढ़ोत्तरी की गयी। मदरसा शिक्षकों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 365 महिला नर्सों का बहाली हो चुकी है एवं 195 नर्सों की बहाली और होगी। साथ ही 1347 महिला पारामेडिकल्स की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखण्ड में सभी सहियाओं को 1 हजार साईकिल दिया गया है और जल्द ही उन्हें स्कूटी भी दिया जाएगा।

समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अन्नपूर्ण देवी ने कहा कि महिला अधिकार नीति के आने से महिलाओं के हर समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि झारखण्ड के इतिहास में महिला अधिकार नीति मील का पत्थर साबित होगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए उमंग हेल्पलाईन शुरु किया गया है। हमारी सरकार ने महिलाओं के हित में कई नये निर्णय लिए है जिसमें कन्यादान योजना की राशि को 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दिया गया है साथ ही लाभुकों को एक 15 ग्राम सोने का सिक्का भी दिया जाना शामिल है।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्री, श्री हाजी हुसैन अंसारी, परिवहन मंत्री श्री चम्पाई सोरेन, नगर विकास मंत्री श्री सुरेश पासवान, कृषि मंत्री श्री बन्ना गुप्ता, विधायक श्री जर्नादन पासवान, महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती महुआ माजी, सचिव ग्रामीण विकास, श्री एन०एन०सिन्हा, सचिव कल्याण श्री सुनील वर्णवाल, निदेशक समाज कल्याण, श्रीमती पूजा सिंघल, उपायुक्त श्री विनय कुमार चौबे सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थें।